

जैड-25023/02/2018-डीसीसी(आयुष)

भारत सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय  
(आयुष)

आयुष भवन,  
'बी' ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स  
आईएनए, नई दिल्ली-110023  
तारीख : 17 मई, 2018

सेवा में,

- i) सभी राज्यों के प्रधानसचिव (आयुष/स्वास्थ्य)
- ii) सभी राज्यों के आयुष निदेशक/आयुक्त
- iii) सभी राज्यों के आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधों के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी / औषध नियंत्रक

महोदय/महोदया,

केंद्रीय सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य सरकारें/केंद्रीय सरकार की आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषध प्रापण एजेंसियां निविदा दस्तावेज में एक शर्त डाल रही हैं कि विनिर्माता निविदा अथवा दर संविदा आवेदन/निवेदित दरें प्रस्तुत करते समय सरकार द्वारा अनुमोदित/एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं से एएसयू औषधियों की विश्लेषणात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त करें।

इस संबंध में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निविदा या दर संविदा आवेदन प्रस्तुत करते समय एएसयू औषधियों की विश्लेषणात्मक जांच रिपोर्ट की मांग तकसगत नहीं लगती क्योंकि इन सभी औषधियों की जांच में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) को काफी लागत लगानी पड़ती है, जो संभवतः दर संविदा के लिए योग्य अथवा सूचीबद्ध ही न हो सकें।

सभी राज्य सरकारों व केंद्रीय सरकार की एएसयूएंडएच औषध प्रापण एजेंसियों से अनुरोध है कि निविदा में उल्लिखित की जाने वाली एएसयूएंडएच औषधियों की विश्लेषणात्मक जांच रिपोर्टों की मांग न करें। औषधालयों एवं अस्पतालों को आपूर्ति किए जाने के लिए प्रापण की जा रही एएसयूएंडएच औषधियों की विश्लेषणात्मक जांच रिपोर्ट या विश्लेषण के प्रमाण पत्र की मांग केवल दर संविदा के अधीन अभिज्ञात या चयनित विनिर्माताओं द्वारा वास्तव में आपूर्ति की जाने वाली औषधियों के बैच या खेप तक ही सीमित की जानी चाहिए।

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

भवदीया,

*शीला तिकी*

(शीला तिकी)

अवर सचिव, भारत सरकार

**प्रतिलिपि:**

आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधों की सभी विनिर्माता एसोसिएशनों